FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/03/2025 21:55 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

Anti Corruption Bureau Rohtak * Haryana

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 01/04/2020 Date To (दिनांक तक): 31/03/2021

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/03/2025 Time (समय): 20:50 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 13/03/2025 21:03 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जिला सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

Scanned with OKEN Scanner

6. Complainant / Informant (शकियतकर्ता/सूचनाकर्ता)

(a) Name (नाम) Vipin

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 22/10/1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Anti Corruption Bureau Unit, SonipatSONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Anti Corruption Bureau Unit, SonipatSONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8295555511

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विनय ईन्चार्ज सैल काउनटर हरियणा बीज विकास निगम सोनीपत			1. हरियणा बीज विकास निगम सोनीपत, SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

Scanned with OKEN Scanner

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक। विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 21.06.2024 रोहतक, CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ दिनाँक 09.05.2024 के आदेश अनुसार कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्र०नि०ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 12130/1-5/ACB (H) dated 24.06.2024 के अनुसार दर्ज होकर पडताल हेतू इस मण्डल में प्राप्त हुई है। और मन उप पुलिस अधीक्षक को दिनांक 30.06.2024 को पडताल हेतु प्राप्त हुई थी। जांच में आरोप वर्णित है कि जांच CWP No. 5898 of 2022 Jasbir ram V/s State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ के आदेश दिनाँक 09.05.2024 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा गेहूँ के बीज पर सब्सिडी दी गई थी उस सब्सिडी वितरण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा सरकारी रिकार्ड मे जालसाजी करके सब्सिडी का दुरुप्योग करने की जाँच करने बारे थे। वर्ष 2020-21 रबी की फसल के दौरान प्रति क्विटल गेहूँ बीज की कुल राशि 3350 रूप्ये मानी गई थी। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा किसानो को वर्ष 2020-21 में प्रति क्विटल 1000 रूप्ये सब्सिडी देकर किसानो को कुल 2350 रूप्ये प्रति क्विटल बेचा गया था। जिसमें हरियाणा बीज विकास निगम को सब्सिडी दर हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की गई थी। जिला सोनीपत में हरियाणा बीज विकास निगम ने बीज ब्रिकी केन्द्र खरखौदा , में मंदीप सेल्स मैन तैनात था। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड सोनीपत के रिकार्ड अनुसार ब्रिक्री केन्द्र खरखौदा, में रबी की फसल के दौरान गेंहूँ बीज किस्म ब्रिक्री का विवरण गेंहूँ बीज किस्म (Variety) HD 2967 के 1352 क्वींटल, WH 1105 के 140 क्वींटल, PBW 723 के 21 क्वींटल 20 किलो, WH 1124 के 70 क्वींटल, PBW 725 के 60 क्वींटल, HD 3086 के क्वींटल 561 क्वींटल 20 किलो, PBW 677 के 0 क्वींटल कुल 2204.40 क्वींटल है।

जिला सोनीपत के बीज बिक्री केन्द्रो (सोनीपत खरखौदा गोहाना गन्नौर) की कुल सब्सिडी 86,06,000 रूप्ये बनती है। सोनीपत में 06 किस्मो का 2204 क्विटल 40 किलो गेहूँ का बीज, (सोनीपत, खरखौदा, गोहाना, गन्नौर) की कुल सब्सिडी 86,06,000 रूप्ये बनती है। हरियाणा बीज विकास निगम भिवानी के सरकारी बैंक खाता सख्या 00781010002420 में कुल 86,06,000/- रूपये सब्सिडी राशि प्राप्त होनी पाई गई है। हरियाणा बीज विकास निगम भिवानी में वर्ष 2020-21 मे रबी की फसल के दौरान बिक्री केन्द्र सोनीपत में हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड सोनीपत के माध्यम से सोनीपत, खरखौदा,गोहान,गन्नौर के कुल 2818 क्वीटल 40 किलो (7046 कट्टे) गेहू का बीज प्राप्त हुआ था जिसने से 2204 क्वीटल 40 किलो (5511 कट्टे) गेहूँ अनुदान के आधार पर 1051 किसानो को वितरित किया गया था। इसके अतिरिक्त सेल काउन्टर ईन्चार्ज सोनीपत विजय कुमार के कथन अनुसार 88 क्वीटल 80 किलो गेहू (222 कट्टे) बिना सब्सिडी के पूरे मुल्य पर बेचा गया था। क्योंकि बीज लम्बे समय तक रखा रहने के कारण चुहो ने काट दिया था इसलिये कोई किसान उसको खरीद नहीं रहा था। जिसकी कुल कीमत 2,97,480 रूपये बनती थी, व बकाया 525 क्वींटल 20 किलो गेहूं (1313 कट्टे) वितरण अधिकारी भिवानी के मौखिक आदेश अनुसार अन्य सेल काउन्टरों पर ट्रासफर करना पाया गया है।

वर्ष 2020-21 मे रबी की फसल RKVY (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के तहत जिला सोनीपत के तहत जिला सोनीपत में गेहुं बीज वितरण किया गया था हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा जिला सोनीपत के बिक्री केन्द्र सोनीपत, खरखौदा, गोहाना, गन्नौर में कुल 3299 किसानो को 8606 क्वींटल गेहुं बीज वितरण किया गया कुल किसानो मे से 15 या 15 से अधिक गेहू के कट्टे प्राप्त करने वाले किसानों में से 10 प्रतिशत के हिसाब से सोनीपत, खरखौदा, गोहाना, गन्नौर के कुल 376 किसानों को शामिल जाच करके कथंन अंकित किये गये है। जो शामिल जाच के दौरान सहयोगी स्टाफ निरीक्षक फतेह सिंह, स०उ०नि० मन्दीप, स०उ०नि० विपेन्द्र ई०ए०एस०आई० राकोश, ई०एच०सी० राजेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत के माध्यम से कथन अकित किये गये है और रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिसके अवलोकन से पाया कि बिक्री केन्द्र सोनीपत के 1051 किसानो मे से 62 किसानो को शामिल जांच करके कथंन अंकित किये गये जिसमे 08 किसान ऐसे पाये गये है जो हरियाणा बीज बिक्री केन्द्र सोनीपत के रिकार्ड अनुसार उनका नाम पता ठिक नही पाया गया है। बीज बिक्री केन्द्र सोनीपत के सैल्स मेन विनय ईन्चार्ज सैल काउनटर हरियणा बीज

Scanned with OKEN Scanner

विकास निगम सोनीपत पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी मल्हा माजरा थाना कुण्डली जिला सोनीपत द्वारा रिकार्ड में फर्जी किसानों के नाम गेहूँ का वितरण का फर्जी रिकार्ड तैयार करके हेरा फेरी करने का अपराध किया है। जिसके खिलाफ तत्कालिन प्रचलित कानून धारा 409/419/420/467/471 भा०द०स० एंव 13 (1)A r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था जांच की पडताल पूर्ण होने उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक क्रमांक 917 भ्र.नि.ब्यूरो. रोहतक दिनांक 11.03.2025 के अनुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो. हरियाणा पंचकुला के कार्यालय मे भेजी गई थी

जिस पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार सतर्कता विभाग चण्डीगढ के आदेश क्रमांक न0 66/46/2024-6VII Dt 04.03.2025

व

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के क्रमांक न0 3677/I-1/ACB (H) dated 05.03.2025 के अनुसार बिज बिक्री केन्द्र सोनीपत के सैल्स मेन विनय के खिलाफ तत्कालिन प्रचलित कानून धारा 409/419/420/467/471 भा०द०स० एंव 13 (1)A r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने हेतू तहरीर तैयार करने के आदेश प्राप्त होने पर मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त तहरीर परारुप तैयार करके अनुमोदन के लिये कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक के पत्र क्रमांक 917 भ्र.नि.ब्यूरो. रोहतक दिनांक 11.03.2025 के अनुसार भेजी गई थी जिसके उपरान्त श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला हरियाणा कार्यालय के पत्र क्रमांक 4392/I-1/ACB (H) DATED 12.03.2025 पंचकुला के अनुसार उक्त अभियोग अंकित करने बारे अनुमोदित होने उपरान्त प्राप्त हुई है आज मैं कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत में उपस्थित हु जो पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक से मन उप पुलिस अधीक्षक के नाम तहरीर देने बारे मार्क हुई है जिस पर तहरीर तैयार करके विनय कुमार सैल्स मैन उपरोक्त के खिलाफ तत्कालिन प्रचलित कानून धारा 409/419/420/467/471 भा०द०स० एंव 13 (1)A r/w 13(2) PC Act 1988 के तहत अभियोग दर्ज करने के लिये बदस्त EHC राजेश 1037/पानीपत के हवाले करके थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक में भेजी जा रही । यदि अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देखा जाऐगा। अभियोग अंकित करके अभियोग नम्बर से सुचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जाये। हस्ता आंग्रेजी Vipin विपिन कादियान (ह0पु0से0)भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत। अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 06 दिनांक 13.03.25 धारा 409/419/420/467/471 भा0द0स0 एंव 13 (1)a r/w 13(2) PC Act PC ACT PS ACB RTK दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला व डयुटी मैजिस्ट्रेट साहब को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी सी0डी0सी0 निरीक्षक विपेन्द्र सिंह न0 1293/सोनीपत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत के हवाले की जाएगी व मुख्य सिपाही नवीन कुमार न0 128/रोहतक के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगतसिंह न0 560/RR की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है। नोट थाना हजा में सी0डी0सी0 निरीक्षक विपेन्द्र सिंह न0 1293/सोनीपत की सी0सी0टी0एन0एस0 आई0डी नही होने के कारण अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक फतेह सिंह न0 84/गुरुग्राम को दर्शाया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.)** जांच अधकिरी का नाम): Vipender SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1293/SPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

Scanned with OKEN Scanner

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Bhghat Singh

Rank (पद): Inspector

No. □560/RR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with OKEN Scanner